



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-784/1696

रायपुर, दिनांक 24/07/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषय: — **Diversion of 1.732 ha. forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for "Widening of the existing PMGSY road from the Village Salhepalalli to Kotrimal, from Auraimuda to teram and at village Kanchanpur revenue forest in Raigarh Forest Division - reg.**

(पंजीयन क्र. FP/CG/ROAD/39744/2019)

- संदर्भ:-**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-I/IROCH-03/2021-NGP/12 दिनांक 23.02.2021
 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक्र/ 1694 दिनांक 02.07.2021

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र - 1 द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मण्डल में Widening of the existing PMGSY road from the Village Salhepalalli to Kotrimal, from Auraimuda हेतु प्रस्तावित रकबा 1.732 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से प्रेषित किया है, जो बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

S.No.	Conditions	Compliance Status
I	Legal status of the forest land shall remain unchanged;	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा, संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र की गयी है।
II (a)	Compensatory afforestation Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.464 ha. Orange Area of Comp. No. Baigabahri OA at Village- Pusalda in Raigarh District at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Raigarh District shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 3.464 हे. के लिए उपयुक्त स्थल चयन कर वर्तमान दर रु. 726270.00 अनुसार राशि 2515799.00 (रुपये पच्चीस लाख पन्द्रह हजार सात सौ निन्याबे रुपये) मात्र कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में ई पोर्टल के माध्यम से RTGS क्रमांक Ref No. CMS1870848257 दिनांक 23.03.2021 को आवेदक संस्थान के द्वारा जमा कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की नवीन दर राशि रु. 798897.00 अनुसार अंतर की राशि रु.

		251580.00 (रुपये दो लाख ईनकावन हजार पांच सौ अस्सी मात्र) कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में ई पोर्टल के माध्यम से RTGS क्रमांक Ref No. CMS1982381551 दिनांक 17.06.2021 को आवेदक संस्थान द्वारा जमा कर दिया गया है।
(b)	The Orange Area proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case maybe, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval;	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
III	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदित क्षेत्र को चार फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स गड़ाकर फारवर्ड एवं बैकवर्ड वीयरिंग अंकित किया जाकर सीमांकन कार्य किये जाने हेतु प्राक्कलित राशि अनुसार रु. 637725.00 (रुपये छः लाख सैतीस हजार सात सौ पच्चीस रुपये) मात्र वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 454852 दिनांक 24.03.2021 प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है।
IV(a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 1.732 Ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008. and 09-05-2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) में आंकलित राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 28. 03.2008, 24.04.2008, एवं 09.05.2008 के आदेशानुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि रकबा 1.732 हे. लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास- III खुला वन अनुसार प्रति हे. 626000.00 अनुसार राशि रु. 1084232.00 (रुपये दस लाख चौरासी हजार दो सौ बत्तीस) मात्र कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में ई पोर्टल के माध्यम से RTGS क्रमांक Ref No. CMS1870848257 दिनांक 23.03. 2021 को आवेदक संस्थान के द्वारा जमा कर दिया गया है।
IV(b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest if any becoming due after finalization of	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रुप देने के

	the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert committee, shall be charged by the State Govt. from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	पश्चात यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) अतिरिक्त राशि देय होती है, तो संस्थान द्वारा जमा किया जावेगा। इस आशय का संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
V	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the tree shall be felled under the strict supervision of State Forest department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User agency with the State Forest Department.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गई है। 4 वृक्षों के विदोहन हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि रु. 26088.00 (छब्बीस हजार अठासी रुपये मात्र) ड्राफ्ट क्रमांक 454852 दिनांक 24.03.2021 एवं 216 वृक्षों के विदोहन हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि रु. 70295.00 (सत्तर हजार दो सौ पन्चान्वे रुपये मात्र) ड्राफ्ट क्रमांक 089846 दिनांक 02.06.2021 द्वारा वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है।
VI	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/);	उपरोक्तानुसार समस्त राशि Ad-hoc CAMPA कापोरेशन बैंक में ई-पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कराकर जमा किया गया है। इस हेतु संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
VII	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
VIII	User Agency shall obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
IX	The instant road shall be used as public road.	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
X	The User agency in consultation of State Forest Department shall raise strip plantation on both sides of the road, a detail scheme in this regard shall be submitted along with Stage-I compliance report.	आवश्यकता नहीं है।
XI	To improve the Forest / Tree cover and to reduce pollution, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively, the User Agency shall develop a separate nursery at one or more places to raise at least 5,000 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local every year. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for hand holding with local people residing in vicinity of proposed road, User Agency shall voluntary distribute remaining 50% of seedlings to them free of cost. A	ले-आउट प्लान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

	compliance report including species wise details of seedlings raised, location of plantation area and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC.	
XII	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;	संस्थान द्वारा वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
XIII	No labour camp shall be established on the forest land;	संस्थान द्वारा श्रमिकों को ईंधन उपलब्ध कराया जावेगा, ताकि वनस्पतियों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो इस हेतु संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
XIV	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest department or the Forest Development corporation or any other legal source of alternate fuel.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गई है। 4 वृक्षों के विदोहन हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि रु. 26088.00 (छब्बीस हजार अठासी रुपये मात्र) ड्राफ्ट क्रमांक 454852 दिनांक 24.03.2021 एवं 216 वृक्षों के विदोहन हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि रु. 70295.00 (सत्तर हजार दो सौ पन्चान्वे रुपये मात्र) ड्राफ्ट क्रमांक 089846 दिनांक 02.06.2021 द्वारा वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है।
XV	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
XVI	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of the project work.	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
XVII	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
XVIII	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	भारत सरकार के अनुमति के बिना प्रस्तावित व्यपवर्तित भूमि को किसी भी व्यक्ति, विभाग या एजेंसी को हस्तांतरण नहीं किया जावेगा। इस हेतु संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
XIX	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
XX	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।

XXI	Any other conditions that the MOEF & CC may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest and wildlife.	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।
XXII	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न:- संलग्नक 1 से 38 तक
02 प्रति में

वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-784/1697
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 24/07/2021

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन), अरण्य भवन, अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 23.02.2021 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है। किये जाने वाले कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये गये जाबदर तथा नार्म्स के अधीन रहेंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसका लेखा वन मंडलाधिकारियों से मासिक रूप से प्राप्त करेंगे।
- वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी पी. डी खाते से आहरण की अनुमति पृथक से भू-प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
3. वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
4. **Chief General Manager, NTPC Talaipali Coal Mining Project, Lailunga Road Gharghoda, Raigarh (C.G.).**

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/वं. स. अ)
6/1 छत्तीसगढ़